

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 46/2017

उनवान

1. भागचन्द,
2. रामदेव,
3. श्रीकिशन,
4. रामलाल उर्फ रामकिशन पि अनडा जाति जाट निवासी लोहरवाड़ा (झबरकिया),
नसीराबाद

-- वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. छोटू पुत्र देवा
2. कालू
3. शैतान,
4. बबलू पिता हीरा
5. श्रीमति मीरा पत्नि अमरा
6. विष्णु,
7. कमल पिता अमरा समस्त जाति रावत निवासी झबरकिया तहसील नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादीगण :- 1 से 7 अनुपस्थित
8 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 136 भू राजस्व अधिनियम
1956

--: निर्णय :-


दिनांक :- 3/5/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाड़ा में
वादीगण की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :-

चौसाला खसरा नम्बर	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3166/3480	4149	15-0-0	521	1.21
			522	1.22

ग्राम लोहरवाड़ा के चौसाला खसरा नम्बर 3166/3480 वर्किंग खसरा नम्बर 4149 रकबा
15-0-0 के तत्कालीन खातेदार छोटू पुत्र देवाराम से दिनांक 30.11.1979 को 1/2 हिस्सा
7-10-0 की आराजी वादीगण भागचन्द, रामदेव, रामलाल उर्फ रामकिशन व श्रीकिशन पुत्र

--2


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अनडा जाति जाट ने कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। विक्रेता छोटू पुत्र देवाराम प्रतिवादी संख्या 1 है। प्रतिवादी संख्या 2 से 7 सह खातेदार है। केतागण वादी संख्या 1 से 4 है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 521/1.21 व 522/1.22 की आराजी विक्रय पत्र की पालना में नियमानुसार वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटीपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये। तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। राज0 पैरोकार ने भी साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 521/1.21 व 522/1.22 हीरा, छोटू पि0 देवा, मीरा, पत्नी अमरा, विष्णु, कमल पि0 अमरा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के वंकिंग खसरा नम्बर 4149 रकबा 15-0-0 खसरा गिरदावरी 2044 से 2047 में हीरा, छोटू, अमरा पि0 देवा के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। वंकिंग जमाबंदी में वंकिंग खसरा नम्बर 4149 रकबा 0-15-0 के आगे ना0न0 424 ख0न0 4149/15 बीघा आवंटन का नोट अंकित है। छोटू पि0 देवाराम द्वारा उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 3166/3480 वंकिंग खसरा नम्बर 4149 रकबा 15-0-0 का विक्रय वादीगण को दिनांक 22.01.80 को कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। वंकिंग खसरा नम्बर 4149 पूर्व में गैर खातेदारी था तथा भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु विहित प्रावधान अनुसार उक्त आराजी में बाद में खातेदारी अधिकार दिये गये। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 521 व 522 विक्रेता छोटू पुत्र देवा व अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी अंकित है। विक्रय पत्र की दिनांक 22.01.1980 है। वंकिंग जमाबंदी अनुसार विक्रय दिनांक को उक्त आराजी विक्रेता की गैर खातेदारी में थी। किन्तु आज दिनांक को उक्त आराजी विक्रेता के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय की है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार 'जहां कि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सम्पत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रव्यंजना करता है वहां ऐसा अन्तरण अन्तरिती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अन्तरक ऐसी सम्पत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अन्तरण की संविदा अस्तित्व में रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर विक्रेता को बाद में खातेदारी प्राप्त होने से उसके द्वारा किया गया विक्रय वैध है। तथा वादी वर्तमान त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को दुरुस्त करने का अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार भी विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है।

प्रकरण के न्यायिक निस्तारण के लिये तहसीलदार नसीराबाद से भू संशोधन जमाबंदी तलबी की गयी वंकिंग खसरा नम्बर 4149 रकबा 15-0-0 भू संशोधन जमाबंदी में खाता




[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

संख्या 154 में देवा पुत्र लाखा कौम रावत के नाम खातेदारी दर्ज है। विक्रता देवा पुत्र लाखा का पुत्र है। उक्त भू संशोधन जमाबंदी में दर्ज खातेदारी अधिकार के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि का बैचान किया गया। राज्य सरकार द्वारा उक्त जमाबंदी की मान्यता समाप्त कर दी गयी। भू आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोडी गयी) वंकिंग जमाबंदी में उक्त आराजी पुनः भू संशोधन के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व उसके भाईयों के नाम आवंटित की गयी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। तथा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी का बैचान पूर्व में ही किया जा चुका है। राज0 पैरोकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 521 रकबा 1.21 व 522 रकबा 1.22 की आराजी पर वादीगण का वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।



निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भागचन्द वगै० बनाम छोटू वगै०


दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955 व धारा 136 भू राज० अधि० 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 46/2017

पेश करने की दिनांक - 18.03.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई, राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 521 रकबा 1.21 व 522 रकबा 1.22 की आराजी पर वादीगण का वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 9 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद